



उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित



वर्ष: 18

अंक: 05

भोपाल

प्रकाशन दिनांक: 10.03.2021

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह

पृष्ठ-08

(परिपत्र क्र. 11-13)

परिपत्र क्रमांक : 11

No. 2/1(5)/2019-P&G/Policy (pt. IV)

Ministry of MSME

Office of the Development Commissioner(MSME)

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

(MSME Policy Division)

Dated: 6th August, 2020
Nirman Bhawan, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on existing Entrepreneurs Memorandum (EM) Part-II/ Udyog Aadhar Memorandum (UAM)/ New Udyog Registration-regarding.

This refers to Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises(MSME) regarding criteria for classification of enterprises as Micro, Small & Medium Enterprises and their registration in Udyam Portal. Thereafter, Government has received some representations seeking clarifications on certain issues necessitating the issuing of this Office Memorandum (O.M.).

2. Validity of EM Part II and UAMs as issued till 30th June. 2020:

- (i) There are representations whether the existing EM Part II and / or UAMs of the MSMEs are valid or not.
- (ii) It is to be clarified that at present they are valid. Para (3) of Clause 7 of the above Notification No. S.O. 2119 (E) dated 26.06.2020, reads as follows:
"The existing enterprises registered prior to 30th June, 2020, shall continue to be valid only for a period up to the 31st day of March, 2021".
- (iii) Therefore, it is clarified and emphasized that all the existing EM Part II and UAMs obtained till 30.06.2020 shall remain valid till 31.03.2021.

3. Editing/updating of the existing registration details:

There are also doubts whether existing UAM holders may edit or amend their details on the UAM portal. It is clarified that the same can be done till 31.03.2021. Those enterprises that have not entered their Aadhar or PAN number so far in the UAM portal are hereby advised to obtain "Udyam Registration Number" well before 31.03.2021.

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (M.P.)

अध्यक्ष: अरुण जैन



महासचिव : विपिन कुमार जैन

4. Action to be taken before 31st March 2021 by Entrepreneurs:

- (i) Since the existing registration as EM Part II / or UAMs will not remain valid after 31st March, 2021 it is strongly recommended that their holders file fresh registration in the new Udyam Registration Portal (<https://udyamregistration.gov.in>).
- (ii) Attention is also drawn to Para (2) of Clause 7 of the above Notification No. S.O. 2119 (E) dated 26.06.2020 which reads as under:

"All enterprises registered till 30th June, 2020, shall be re-classified in accordance with this notification".

- (iii) To make the re-classification proper and realistic, it is necessary that the latest details are entered by the MSMEs.
- (iv) It is preferable that the entrepreneur files new registration in the Udyam Registration Portal. Therefore, all enterprises with EM Part II and/or UAMs are advised to register themselves on the Udyam Registration well before 31.03.2021 in the Udyam Registration portal (www.udyamregistration.gov.in).

5. Value of Plant and Machinery or Equipment:

- (i) There are clarifications sought by the entrepreneurs regarding valuation of plant and machinery or equipments on cost or purchase price while filing the Udyam Registration.
- (ii) Para 3 of clause 4 Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 reads as follows:
"The expression plant and machinery or equipment of the enterprises, shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules, 1962 framed under the Income Tax Act, 1961 and shall include all rangible assets (other than land and building , furniture and fittings)".
- (iii) It is clarified that online Form for Udyam Registration captures depreciated cost as on 31st March each year of the relevant previous year. Therefore, the value of Plant and Machinery or Equipments for all purpose of the Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 and for all the enterprises shall mean the Written Down Value (WDV) as at the end of the Financial Year as defined in the Income Tax Act and not the cost of acquisition or original price, which was applicable in the context of the earlier classification criteria.


6. RBI's Circular:

In the light of the above, RBI is being requested to revisit their Circular No. RBI/2020-2021/10/ FIDD.MSME & NFS.BC.No. 3/06.02.31/2020-21 dated 02.07.2020.

7. Miscellaneous:

Taking this opportunity, it is further reiterated that the entire registration process is free of cost. Also, it should be done only on and through the Government Portal as above.

This issues with the approval of competent authority.


(D.K. Singh)

Additional Secretary & Development Commissioner(MSME)

To

1. All the Banks, Industries & MSME Associations.
2. UAM Holder MSMEs by e-mail
3. MSME Ministry's website.
4. DCMSME's website.

Copy for information to:

- 1) PS to Hon'bel Union Minister (MSME)
- 2) PS to Hon'ble Minister of State for MSME.

Ref: MPSSIO/23/2020-21/

परिपत्र क्रमांक : 12

APPLICABILITY OF e-Way BILL

GST has been a major structural reform of the current government. Replacing multiple taxes and cesses of state and central governments into a single tax has been a major relief to trade and industry. At the same time reduction in overall tax incidence has brought relief to the end-consumers. The IT driven tax filing system of GST has made it difficult for intermediaries in the value added chain to evade taxes.

The movement of goods across the country has become faster and less cumbersome with the help of a single e-way bill carried by the transporter, and because of abolition of state check posts. GST has given a big boost to the manufacturing sector as a whole, which will accelerate the growth of the economy.

But due to more compliance on generation of E-Way bill taxpayers after successful implementation of E- Way bill system in whole indian territory.

Taxpayers from some states are opposing such system, Many transporters and registered tax payers unable to comply with the provisions laid down under E- Way Bill rules, Where in case of inter-state movement of goods of value over and above 50,000/- and distance having 50km or above shall mandatory required to generate E- Way Bill.

Same bandwagon had been continued in Madhya Pradesh State where most taxpayer opposing against State Government to follow E- Way bills and follow the compliance laid down under E- Way bill rules.

*The Commissioner of State Tax Madhya Pradesh, in consultation with the Chief Commissioner of Central Tax Madhya Pradesh, in exercise of the powers conferred hv clause (d) of sub-rule (14) of Rule 138 of the **Madhya Pradesh Goods and Sendees Tax Rules, 2017** and in supersession of this department's Notification No. F-A-3-08-2018-1-V (41) dated 28th March, 2018, hereby, notifies that. No e-way bill shall be required to be generated for intra-state movement of goods in the State of Madhya Pradesh, except for the goods mentioned in the table given in the notification with certain conditions.*

No e-way bill shall be required to be generated for intra-state movement of goods in the State of Madhya Pradesh, except for the goods mentioned in column No. (2), with its Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item in column No. (3) of the table given below, when the movement of such goods commences from within the area of any district of Madhya Pradesh and terminates within the area of any other district of Madhya Pradesh, subject to the condition that the consignment value for such goods exceeds Rs. fifty thousand.

TABLE

S.No.	Description of Goods	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item
(1)	(2)	(3)
1	Pan Masala	2106-90-20
2	Confectionery	1704 .
3	Plywood & laminate Sheet	4412, 4408
4	All Types of Iron and Steel	2502, Chapter 26 (Other than 2621), 7201 to 7217, 7301, 7303 to 7308, 7312 to 7318, 7320, 7326, 7415
5	Edible Oil	1507 to 1518
6	Auto parts	8714 (excluding 8713), 8708 (excluding 8701)
7	Cigarette / tobacco and tobacco products	2402, 2403
8	Electric & Electronic goods mentioned in the chapter HSN Codes	8412, 8415, 8418. 8419, 8422, 8423, 8443. 8450, Chapter 85, Chapter 90
9	All types of Furniture mentioned in the chapter / HSN codes	Chapter 44, 9403
10	Lubricants	2710
11	Tiles, Ceramic Goods, Ceramic Blocks. Ceramic Pipes etc.	6901,6904 to 6907,6910

5.4. The above notification has been issued under the powers conferred by clause (d) of sub-rule (14) of Rule 138 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

Ref: MPSSIO/74/2020-21/

परिपत्र क्रमांक : 13

GST के तहत त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान (QRMP) योजना

1. त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान योजना (QRMP) सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना है, जो पांच (5) करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार वाले एक पंजीकृत व्यक्ति को कर के मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक आधार पर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए करने की अनुमति देती है। CBIC ने परिपत्र सं. 20/01/08/2020— जीएसटी दिनांक 10 नवंबर 2020 ने QRMP योजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया।
2. प्रभावी तिथि— इस योजना को 01 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा।
3. योजना के लिए पात्रता रू. एक पंजीकृत व्यक्ति जिसे FORM GSTR-3B में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, और जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार है, QRMP योजना के लिए पात्र है।
 - 3.1 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल वार्षिक टर्नओवर की गणना सामान्य पोर्टल में करदाता द्वारा कर अवधि के लिए रिटर्न में प्रस्तुत विवरण में की जाएगी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कर अवधि के लिए की गई है।
 - 3.2 यदि चालू वित्त वर्ष में किसी भी तिमाही के दौरान कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो पंजीकृत व्यक्ति अगली तिमाही से इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
4. **व्यूआरएमपी योजना के लिए व्यायाम विकल्प:** एक पंजीकृत व्यक्ति तिमाही के पहले महीने के अंतिम दिन के पहले महीने के दूसरे दिन से किसी भी तिमाही के लिए विकल्प चुन सकता है।
 - 4.1 उदाहरण: "जुलाई से सितंबर" की तिमाही के लिए योजना का लाभ उठाने / चयन करने का इच्छुक व्यक्ति 1 से 31 जुलाई के दौरान अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है।
 - 4.2 इसी तरह लोगों को, जो किसी भी तिमाही के दौरान पंजीकरण प्राप्त किया है या पंजीकृत व्यक्ति किसी भी तिमाही के दौरान संरचना योजना के तहत कर का भुगतान करने से ऑफ्ट आउट करने के लिए किसी भी समय चुनते करने में सक्षम हो जाएगा 1 के बीच सेंट 31 मई सेंट सितंबर तिमाही के लिए जुलाई के लिए जुलाई (पहले दिन तिमाही के दूसरे महीने)
 - 4.3 इस विकल्प का उपयोग करने के लिए, पंजीकृत व्यक्ति को अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि इस तरह के विकल्प का उपयोग करने की तारीख के कारण।
 - 4.4 यदि वह 27 जुलाई को तिमाही (जुलाई से सितंबर) के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में, उसे जून के लिए रिटर्न को प्रस्तुत करना होगा जो 22/24 जुलाई को होने वाला था।
 - 4.5 पंजीकृत व्यक्तियों को हर तिमाही विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां इस तरह के विकल्प का प्रयोग एक बार किया गया है, वे भविष्य के कर अवधि के लिए चयनित विकल्प के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत करना जारी रखेंगे, जब तक कि वे उक्त विकल्प को संशोधित नहीं करते हैं।
5. **योजना की पहली तिमाही के लिए डिफॉल्ट प्रवासन:** योजना लागू होगा प्रभावी 01 जनवरी 2021 करदाताओं की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है जिसने मार्च 2021 जनवरी 2021 यानी पहली तिमाही के लिए, पंजीकृत व्यक्तियों ऊपर कारोबार कर रहा 5 करोड़ रुपये में और अक्टूबर 2020 के लिए FORM GSTR-3B में 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न की सुविधा प्रदान की है, नीचे बताए अनुसार सामान्य पोर्टल पर माइग्रेट किया जाएगा:

क्रमांक	कुल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी	डिफॉल्ट विकल्प (माइग्रेटेड)
(क)	चालू वित्त वर्ष में मासिक आधार पर 1.5 करोड़ रुपये और सुसज्जित FORM GSTR-1	मासिक रिटर्न
(ख)	चालू वित्त वर्ष में तिमाही आधार पर 1.5 करोड़ रुपये और सुसज्जित FORM GSTR-1	त्रैमासिक रिटर्न
(ग)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक	त्रैमासिक रिटर्न

- 5.1 करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अक्टूबर 2020 का रिटर्न प्रस्तुत करें ताकि डिफॉल्ट प्रवास के योग्य हो सकें
- 5.2 करदाता जिन्होंने 30 नवंबर 2020 को या इससे पहले अक्टूबर 2020 के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें इस योजना के लिए माइग्रेट नहीं किया जाएगा। एक बार FORM GSTR-3B के रूप में वे योजना के लिए विकल्प चुन सकेंगे क्योंकि अभ्यास करने की तिथि के बाद विकल्प दाखिल किया गया है।
6. **रिटर्न पीरियड्स फाइल करने के डिफॉल्ट विकल्प से बदलें** पंजीकृत व्यक्तियों की सुविधा के लिए डिफॉल्ट विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे पंजीकृत व्यक्ति उपरोक्त विकल्प को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं जैसे कि वे चाहते हैं। योजना की पहली तिमाही के लिए, परिवर्तन 5 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक किए जा सकते हैं।
- 6.1 उदाहरण, 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले करदाता, जिसका जनवरी-मार्च 21 तिमाही के लिए पोर्टल पर डिफॉल्ट विकल्प मासिक रिटर्न फाइल करने की इच्छा के रूप में माइग्रेट किया गया है। वह 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक मासिक के रूप में विकल्प बदल सकता है।
- 6.2 **टर्नओवर पर स्कीम से ऑफ्ट-आउट 5 करोड़ रुपये से अधिक है:** यदि चालू वित्त वर्ष में किसी भी तिमाही के दौरान कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो पंजीकृत व्यक्ति अगली तिमाही से इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, जिसका कुल कारोबार चालू वित्त वर्ष में एक तिमाही के दौरान 5 करोड़ रुपये को पार कर जाता है, वह मासिक आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, सफल तिमाही से रिटर्न प्रस्तुत करने का विकल्प चुन लेगा।
7. **GSTIN वाइज विकल्प उपलब्ध है:-** क्यूआरएमपी योजना का लाभ उठाने का विकल्प जीएसटीआईएन वार है और इसलिए, अलग-अलग व्यक्तियों (एक ही पैन पर विभिन्न जीएसटीआईएन) के पास एक या एक से अधिक जीएसटीआईएन के लिए क्यूआरएमपी योजना का लाभ उठाने का विकल्प है। दूसरे शब्दों में उस पैन के लिए कुछ GSTIN QRMP स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और शेष GSTIN स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
8. **GSTR की त्रैमासिक फाइलिंग 1:** पंजीकृत व्यक्तियों योजना के लिए चयन जावक का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए त्रैमासिक रूप सीजीएसटी नियम के नियम 59 के अनुसार फार्म GSTR-1 में आपूर्ति की आवश्यकता होगी।
- 8.1 **इनवॉयस फर्निशिंग की सुविधा:** एक पंजीकृत व्यक्ति के पास पहले पंजीकृत व्यक्ति को पहले और दूसरे महीने की आपूर्ति के विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए इनवॉयस फर्निशिंग सुविधा (IFF) होगी, क्योंकि वह अगले महीने के पहले दिन के बीच आवश्यक समझ सकता है। अगले महीने के 13वें दिन तक पिछले महीने के लिए IFF प्रस्तुत करने की यह सुविधा महीने के 13वें के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
- 8.2 IFF में चालान के विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि संबंधित प्राप्तकर्ता के FORM GSTR-2 और FORM GSTR-2B में ऐसी आपूर्ति का विवरण विधिवत परिलक्षित हो सके।
- 8.3 बाहरी आपूर्ति का विवरण, हालांकि, प्रत्येक माह में **पचास लाख रुपये के मूल्य से अधिक नहीं** होगा।
- 8.4 एक सुगम उपाय के रूप में, पंजीकृत व्यक्तियों के लिए इनवॉयस का निरंतर अपलोड भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें वे आईएफएफ में इनवॉयस को महीने के पहले दिन से लेकर अगले महीने के 13वें दिन तक बचा सकते हैं।
- 8.5 उदाहरण के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने इस योजना का लाभ उठाया है, वह तिमाह के पहले महीने में जारी किए गए कुल दस चालानों में से दो चालानों की घोषणा करना चाहता है, क्योंकि उन दो चालानों द्वारा करवर की गई आपूर्ति के प्राप्तकर्ता आईटीसी का लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं। इन दोनों चालानों का विवरण IFF का उपयोग कर सुसज्जित किया जा सकता है। शेष 8 चालानों का विवरण उक्त तिमाही के फार्म GSTR-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 8.6 IFF में प्रस्तुत दो चालान तिमाही के पहले महीने के संबंधित प्राप्तकर्ता के FORM GSTR-2B में परिलक्षित होंगे और FORM GSTR-1 में सुसज्जित शेष आठ चालान FORM GSTR-2 में दिखाई देंगे, जो अंतिम के संबंधित प्राप्तकर्ता को दिखाई देंगे। तिमाही का महीना।

- 8.7 उक्त, सुविधा जुलाई के महीने के लिए 1 अगस्त से 13 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इसी तरह, अगस्त महीने के लिए, उक्त सुविधा 1 सितंबर से 13 सितंबर तक उपलब्ध होगी।
- 8.8 सुविधा अनिवार्य नहीं है और केवल एक वैकल्पिक सुविधा है QRMP योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया।
- 8.9 पहले दो महीनों में उक्त सुविधा का उपयोग कर सुसज्जित किए गए चालानों का विवरण फिर से FORM GSTR-1 में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, एक तिमाही के दौरान ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए बाहरी आपूर्ति के विवरण में पहले दो महीनों के लिए IFF का उपयोग करते हुए चालान का विवरण और तिमाही के लिए FORM GSTR-1 में सुसज्जित चालान का विवरण शामिल होगा।
- 8.10 उनके विकल्प पर, एक पंजीकृत व्यक्ति IFF का उपयोग किए बिना केवल FORM GSTR-1 में एक तिमाही के दौरान किए गए बाहरी आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करना चुन सकता है।
9. **कर का मासिक भुगतान:** क्यूआरएमपी योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को तिमाही के पहले दो महीनों में मासिक आधार पर कर का भुगतान करना होगा।
- 9.1 फार्म "पीएमटी 06" का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाना आवश्यक है।
- 9.2 कर भुगतान की नियत तारीख अगले महीने की 25वीं तारीख है।
- 9.3 जबकि चालान जर्नेट करे तो करदाताओं "त्रैमासिक करदाता के लिए मासिक भुगतान" पैदा करने के लिए एक कारण के रूप का चयन करना चाहिए चालान।
10. **फिक्स्ड सम मेथड:** एक करदाता जिसने पूर्ववर्ती तिमाही में त्रैमासिक रिटर्न की सुविधा दी है, वह पूर्ववर्ती तिमाही में नगद में चुकाए गए कर का 35 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।
- 10.1.1 उदाहरण: अंतिम रिटर्न मार्च 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही आधार पर थी। अंतिम तिमाही में भुगतान की गई राशि के आधार पर बाद की तिमाही में प्रत्येक दो महीने में भुगतान की जाने वाली राशि निम्नानुसार होगी।

तिमाही में नकद भुगतान किया गया
(जनवरी-मार्च 2021)

सीजीएसटी	100
एसजीएसटी	100
IGST	1000
उपकर	200

अप्रैल और मई 2021 से प्रत्येक महीने में कर
कर का भुगतान किया जाना आवश्यक है

सीजीएसटी	35
एसजीएसटी	35
IGST	350
उपकर	70

यदि पंजीकृत व्यक्ति ने मासिक रिटर्न भरा है, तो वह पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम महीने में भुगतान किए गए कर के बराबर राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। अंतिम रिटर्न मार्च 2021 की कर अवधि के लिए मासिक था।

तिमाही में नकद भुगतान किया गया
(जनवरी-मार्च 2021)

सीजीएसटी	50
एसजीएसटी	50
IGST	80
उपकर	

अप्रैल और मई 2021 से प्रत्येक महीने में कर
कर का भुगतान किया जाना आवश्यक है

सीजीएसटी	50
एसजीएसटी	50
IGST	80
उपकर	0

10.1.2 उपरोक्त भुगतानों के लिए FORM GST PMT-06 में प्री-भरा चालान बनाने के लिए पोर्टल पर एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

10.1.3 Non- मासिक कर भुगतान की सुविधा के लिए उपलब्धता: इस विधि के माध्यम से मासिक कर भुगतान उन पंजीकृत लोगों को, जो एक पूरा कर अवधि में इस तरह के महीने से ठीक पहले के बदले प्रस्तुत नहीं किया है के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

10.1.4 एक पूरी कर अवधि का मतलब एक कर अवधि है जिसमें व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक पंजीकृत होता है।

10.2 स्व-मूल्यांकन विधि पंजीकृत व्यक्ति आवक और जावक आपूर्ति पर कर देयता और उपलब्ध इनपुट क्रेडिट पर विचार करके कर का भुगतान कर सकता है।

10.2.1 महीने के लिए उपलब्ध आईटीसी के पता लगाने की सुविधा के लिए, हर महीने के लिए एक ऑटो-ड्राफ्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म GSTR-2B में उपलब्ध कराया गया है।

11. **गैर-मासिक कर जमा की आवश्यकता:** यदि इलेक्ट्रॉनिक कैश बेजर और/ या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बेजर में शेष कर देय हो तो (पहले महीने के लिए या दूसरे महीने में संचयी बकाया के लिए) पर्याप्त है या जहां कोई है Nil कर देयता, पंजीकृत व्यक्ति उक्त महीनों के लिए कोई राशि जमा नहीं कर सकता है।

12. **धनवापसी का दावा:** कर के भुगतान के लिए एक क्वार्टर के पहले दो महीनों के लिए जमा की गई राशि के संबंध में धनवापसी के दावे को उक्त तिमाही के लिए FORM GSTR-3B में वापसी के बाद अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, इस जमा का उपयोग करदाता द्वारा तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल करने तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। (Continue-Nex Issue)

Union Budget announcement FY 2020-21 on amendment of Stand UP India Scheme

As you are aware that Stand Up India (SUI) scheme was announced by Hon'ble Prime Minister in his speech on 15th August 2015 to promote bank financing for green field enterprises promoted by SC/ST & Women Entrepreneurs. The objective of the SUI scheme is to facilitate bank loans between Rs. 10 lakh and Rs. 1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise in manufacturing, services or the trading sector. The scheme has been extended upto FY 2025.

During the **Union budget 2021**, the following changes **under Stand Up India Scheme** was announced to further facilitate credit flow under Stand Up India Scheme & the following amendment have been made with immediate effect.

- a. The extent of margin money to be brought by the borrower may be reduced from '**upto 25%**' to '**upto 15%**' of the project cost. However, the borrower will continue to contribute at least 10% of the project cost as own contribution.
- b. Loans for enterprises in '**Activities allied to agriculture**' e.g. pisciculture, beekeeping, poultry livestock, rearing, grading, sorting, aggregation agro industries, dairy, fishery, agriclinic and agibusiness centers, food & agro-processing, etc. (excluding crop loans, land improvement such as canals, irrigation, wells) and services supporting these, shall be eligible for coverage under the Scheme.

आवश्यक सूचना

दिनांक 25.01.2021 को म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की 6वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन वेबीनार के माध्यम से सम्पन्न हुआ, जिसमें अन्य बातों की अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के चुनाव प्रक्रिया में वे ही सदस्य भागीदारी कर सकेंगे, जिन्होंने दिनांक 31.03.2021 तक अपनी बकाया राशि / सदस्यता शुल्क जमा करा देंगे।

हस्ता / -
(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

DECLARATION**Statement about ownership and other particulars of Newspaper entitled "Udyam Prerna"
FORM IV [See Rule]**

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Place of Publication | : | Bhopal |
| 2. | Periodicity of Publication | : | Fortnightly |
| 3. | Printer's Name | : | Vipin Kumar Jain |
| | Nationality | : | Indian |
| | Address | : | E-2/30, Mahavir Nagar, Arera Colony, Bhopal - 462016 |
| 4. | Publisher's Name | : | Vipin Kumar Jain, Secretary General, MPSSIO |
| | Nationality | : | Indian |
| | Address | : | E-2/30, Mahavir Nagar, Arera Colony, Bhopal - 462016 |
| 5. | Editor's Name | : | Vipin Kumar Jain, Secretary General, MPSSIO |
| | Nationality | : | Indian |
| | Address | : | E-2/30, Mahavir Nagar, Arera Colony, Bhopal - 462016 |
| 6. | Ownership of the Periodical | : | MP Small Scale Industries Organization |
| | Address | : | (MP Laghu Udyog Sangh) |
| | | : | E-2/30, Mahavir Nagar, Arera Colony, Bhopal - 462016 |

I Vipin Kumar Jain, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Vipin Kumar Jain)
Publisher

Date: 10.03.2021

MPSSIO की ओर से संपादक विपिन कुमार जैन द्वारा मोना इन्टरप्राइजेस, न्यू मार्केट, भोपाल से मुद्रित, विपिन कुमार जैन द्वारा प्रकाशित तथा ई-2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016 में प्रकाशित Ph.: 0755-2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplplus.co.in